



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 210 राँची, सोमवार,

10 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

18 मार्च, 2023

संख्या- 5/आरोप-1-94/2014 का०1641--श्री विनोद कुमार झा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 568/03), तत्कालीन उप सचिव, जल संसाधन विभाग-सह-उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, राँची को निगरानी थाना कांड सं०-16/2013 एवं निगरानी (स्पेशल) वाद सं०-17/2013 में माननीय श्री संतोष कुमार, विशेष न्यायाधीश (Special Judge), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये का अर्थ दण्ड दिये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2872(HRMS), दिनांक 10.12.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

2. श्री झा निलंबित रहने के दरम्यान दिनांक 29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो गये तथा संबंधित मामले में विभागीय संकल्प सं०-3520, दिनांक 29.07.2021 द्वारा उनकी समूची पेंशन पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

3. महालेखाकार, झारखण्ड के पत्रांक-776, दिनांक 27.12.2021 द्वारा श्री झा के अर्जित अवकाश 300 (तीन सौ) दिनों के स्वीकृति/निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ।

4. चूँकि, माननीय विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, राँची द्वारा श्री झा को दोषी पाते हुए सजा दी गयी एवं उक्त के आधार पर ही उनकी समूची पेंशन पर रोक लगाने का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

अतः श्री झा के निलंबन अवधि दिनांक 10.12.2018 से 29.02.2020 को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 11(7) के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि इन्हें निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
